न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 423 सन 2018
अनवान :–

1. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. किशनलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. कुलदीप पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. गुडडी 6 मीरा पुत्रीया मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 182/28 की कुल 2.900हैक ,चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 81/83 की कुल 5.1750हैक भूमि वादी के दादा नानु वल्द रखु के नाम से दर्ज थी व रोही मोजा ढण्ढेला के खाता संख्या 18/16 के खसरा न0 402 की कुल 11.8620हैक भूमि जिसमें सयुक्त तोर से मनीराम वल्द नानूराम 1/6 हिस्सा दर्ज थी।

वादी के दादा नानू वल्द रखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर और हुई एवं सभी भाईयों के द्वारा खाता विभाजन करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 81/83 की कुल 2.2770हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 82/10 की कुल 5.1750हैक भूमि एवं रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 182/28 की 2.9090हैक व रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 18/16 की कुल 11.8620हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री हे ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो

वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

- अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 82/10 की कुल 5.1750हैक एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 182/28 की कुल 2.9090हैक एवं रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 18/16 की कुल 11.8620हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/6 हिस्सा में बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी –बी के खाता संख्या 81/83 की कुल 2.2770हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official